कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), विहार वीरचंद पटेल मार्ग, पटना = 800 001



Office of The Principal Accountant General (Audit). Bihar

Burchand Patel Marg, Patna - 800 001

2025-26 की 3rd तिमाही के लिए जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा हेतु यात्रा कार्यक्रम Team No - DCA/01 (AMG-I)

Name of Team members -

- 1. Shri Pankaj Kumar Singh, SAO
- 2. Shri Atul Kumar, AAO
- 3. Shri Arvind Kumar Mantu, AAO
- 4. Shri Prakash Kumar No. 1, Sr. Auditor

	Name of the audit entity	Risk Cat.	Last audit conducted	Duration of Program		Number of	Remarks
				From	То	working days	
	Transit to Barahiya (La	khisa	rai)- 10.11.25	(Morning	g)		
1.	Barahiya Nagar	Med	Mar-21	10.11.25	26.11.25	15	Sun- 16/11,23/11
	Transit to Suryagarha	(Lakh	isarai)- 27.11	.25 (Morr	ning)		
2.	Suryagarha Nagar Parishad (Lakhisarai)	Low	Mar-21	27.11.25	13.12.25	15	Sun- 30/11,07/12
	Transit to Patna - 13.12.25 (Evening)						
	Transit to Jehanhad - 15.12.25 (Morning)						
3.	Jehanabad Nagar Parishad	Med	Mar-16	15.12.25	02.01.26	15	Sun- 21/12,28/12 Holiday- 25/12,27/12
	Transit to Makhdumpu	r- 03.	01.26 (Morni	ng)			
4.	Makhdumpur Nagar Panchayat (Jehanabad)	Med	Mar-16		16.01.26	12	Sun- 04/01,11/01
	Transit to Ghosi- 17.01	.26 (N	Morning)				
5.	Ghosi Nagar Panchayat (Jehanabad)	Low	Mar-21	17.01.26	31.01.26	12	Sun- 18/01,25/01 Holiday- 26/01

Attached to Headquarter- 02.02.2026

अनुदेश/ Instructions:

 लेखापरीक्षा दल को मुख्यालय के पत्र संख्या 143/LB/Pilot studies for DCA/82-2021 दिनांक 25.07.2022, पत्र संख्या 179/LB/Development of Key questionnaire/120/2022 दिनांक 20.12.2022, पत्र संख्या 194/LB/Development of Key question/120/2022 दिनांक 29.12.2022, पत्र संख्या 28/LB/68/augmenting LB Audit/2021 दिनांक 30.05.2023 और पत्र संख्या 165/LGA/Misc. on DCA/149-2023 दिनांक 03.06.2024 और पत्र संख्या 04/LGA/Policy/5-2025(Vol-IV) दिनांक

04.07.2025 में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।The audit team should adhere to the instructions laid out in Hqrs' letter no. 143/LB/Pilot studies for DCA/82-2021 dated 25.07.2022, letter no. 179/LB/Development of Key questionnaire/120/2022 dated 20.12.2022, letter No. 194/LB/Development of Key question/120/2022 dated 29.12.2022, letter no. 28/LB/68/augmenting LB Audit/2021 dated 30.05.2023 and letter no. 165/LGA/Misc. on DCA/149-2023 dated 03.06.2024 and letter no. 04/LGA/Policy,5-2025 (Vol-IV) dated 04.07.2025.

- 2. लेखापरीक्षा दल को स्थानीय सरकार लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समेकित कर आगे की प्रक्रिया के लिए डी.पी.सेल को प्रस्तुत करना चाहिए | The audit team should consolidate the audit findings for inclusion in the Audit Report on Local Government Audit & Submit to DP Cell for further processing.
- 3. 12वीं अनुसूची के क्रम संख्या 6 में सूचीवद्ध कार्यः 2025-26 के दौरान शहरी स्थानीय निकारों के कार्य-आधारित लेखापरीक्षा हेतु जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रवंधन की योजना बनाई गई है। लेखापरीक्षा दल को इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

Function listed at sl. no. 6 of 12th Schedule: Public health, sanitation conservancy and solid waste management has been planned for function-based audit of ULBs conducted during 2025-26. The audit team should follow instructions issued by the CAG office/this office in this regard.

4. लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के तीन दिन के भीतर डेस्क समीक्षा तैयार कर प्रस्तुत करेगी। लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के बाद दल को अतिरिक्त डेस्क समीक्षा भी प्रस्तुत करनी होगी।

The audit team shall prepare and submit the Desk Review within three days after commencement of audit. The team shall also submit additional desk review after the commencement of audit.

5. लेखापरीक्षा दल 30.10.25 के जापन संख्या 992-997 के माध्यम से जारी दूसरी त्रैमासिक बैठक15.10.25)) के कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्देशों का पालन करेंगी।

The teams shall comply the instructions mentioned in Minutes of 2nd quarterly meeting (15.10.25) issued through memo no. 992-997 dated 30.10.25.

- 6. दल को स्कंध आदेश संख्या 05 दिनांक 05.06.2025 के अनुसार Key Result Area का पालन करना होगा।
 The team should follow and adhere the Key Result Area as circulated vide wing order no. 05 dated 05.06.2025.
- 7. लेखापरीक्षा दल द्वारा योजनाओं के चयन/समीक्षा के बाद ही संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और भौतिक सत्यापन का अंतिम प्रतिवेदन, संबंधित तस्वीरों सहित, संबंधित मसौंदा निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। The joint physical verification should be done only after selection/review of schemes by the audit team and the final report on physical verification along with concerned photographs should be submitted with the concerned Draft Inspection Reports.
- लेखापरीक्षा दल को मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से OIOS प्लेटफोर्झ पर अनुपालन लेखापरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।The audit team is directed to conduct compliance audit on OIOS platform mandatorily as per headquarter instructions.
- 9. लेखापरीक्षा दल को होटल में ठहरने और TA दावों के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या Misc/TA/CA-529 दिनांक 01.03.2023 का अनुपालन करना चाहिए। The audit team should comply the O.O. No. Misc/TA/CA-529 dated 01.03.2023 regarding stay at Hotel & TA claims.
- 10. लेखापरीक्षा दल को निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायत मामलों/मीडिया रिपोर्टों (प्रेस क्लिपिंग) की अनुपालन रिपोर्ट , जो टीम को सींपी गई हो या कार्यालय के दाई ओर रिवन पर 'सत्यापन के लिए आइटम' ध्वज पर दिखाई गई हो, यदि कोई हो, मुख्यालय अनुभाग (AMG-I) को अलग से प्रस्तुत करें। The Audit team is directed to submit compliance report of complaint cases/media reports press clippings) handed over to the team or shown at 'Items for Verification' flag at right side ribbon of OIOS, if any, to the headquarter section (AMG-I) separately.
- 11. लेखापरीक्षा दल को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक सप्ताहांत मुख्यालय आएं , यदि लेखापरीक्षित इकाई स्थल मुख्यालय

- GOTT. TP/2024-25

से 150 किमी से कम की दूरी पर हो (यह लागू नहीं होता है जहां लेखापरीक्षा दल का भोजन/आवास सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस/निरीक्षण वंगले, मेस आदि में हो) {प्राधिकरण द्वारा मुख्यालय पत्र संख्या 3368/BRS/2012 दिनांक 27 जून 2012}।

Field team is directed to come on Headquarter on every weekend from place of auditee units at a distance of less than 150 km from headquarter (not applicable where boarding/lodging of Audit Team is in circuit house/ guest house/inspection bungalows, messes etc.) {Authority vide Hqr. Letter No. 3368/BRS/2012 dated 27th June 2012}.

- 12. लेखापरीक्षा दल को यह सुनिश्वित करना चाहिए कि पर्याप्त एवं प्रासंगिक अवलोकनों के साथ पर्याप्त और प्रासंगिक कुंजी दस्तावेज संलग्न हों और उनका संदर्भ उचित रूप से दिया गया हो।

 The audit team should be ensured that sufficient and relevant KDs are attached with the observations and referencing of them done properly.
- 13. लेखापरीक्षा समाप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन पर लेखापरीक्षित इकाइयों और उनके नियंत्रण अधिकारियों की ई-मेल आईडी अंकित होनी चाहिए।

 Draft IRs must be submitted within 07 working days from the date of completion of audit. E-mail Id of auditee units and their controlling officers should be mentioned on draft IRs.
- 14. लेखापरीक्षा दल को संबंधित संबीक्षा अनुभागों से बकाया पुराने निरीक्षण प्रतिवेदन एकत्र करने चाहिए और इकाइयों से उत्तर प्राप्त करने के बाद समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

 The audit team should collect outstanding old IRs from concerned vetting sections and submit review report after obtaining reply from the units.
- 15. कार्य की अनिवार्यता /गंभीरता और उचित औचित्य के बिना , यात्रा कार्यक्रम में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

 No extension in tour programme will be granted except in case of exigency/seriousness of work and without proper justification.
- 16. लेखापरीक्षा दल को लेखापरीक्षित इकाई द्वारा संधारित बचत खाताँ/चालू खाताँ और पीडीए/पीएलए के बैंक विवरण सिहत रोकड़ पंजी की जांच करने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में, दल संबंधित बैंकों से प्रमाणित बैंक विवरणी एकत्र करेगा।

The audit team is directed to scrutiny the Cash Book with bank details of savings accounts/current accounts and PDA/PLA maintained by auditee unit. In this regard, the team will collect the certified bank statement from concerned banks.

- 17. लेखापरीक्षा दल को पिछले तीन वर्षों के संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी, उनके आवंटन और व्यय के साथ एकत्रित करनी चाहिए और उसे AMG-I (मुख्यालय) को प्रस्तुत करना चाहिए।

 The audit team should collect the information of all types of schemes with their allotment and expenditure pertaining to the last 3 years and submit the same to AMG-I (Hq).
- 18. लेखापरीक्षा दल को इलाहाबाद मॉडल के अनुसार प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ 18 प्रोफार्मा प्रस्तुत करना चाहिए। The Audit team should submit 18 proforma as per Allahabad Model alongwith DIR.
- 19. लेखापरीक्षा दल, विंग आदेश Tr .No373 . दिनांक 24.07.2023 के अनुसार, OIOS Toolkit पर लेखापरीक्षित इकाई की IT प्रणालियों के बारे में जानकारी को अवतन/अपलोड करना सुनिश्चित करेगा।

 The Audit team will ensure updation/uploading of the information about IT Systems of audited entity on OIOS toolkits as per wing order Tr. No. 373 dated 24.07.2023.

६०/ — उप महालेखाकार (ए.एम.जी-I)

ए.एम.जी.-। (मृ.)/3rd तिमाही यात्रा कार्यक्रम/2025-26/रिक्काः 192 में 197 दिनांकः-प्रतिलिपि सुवनार्थ एवं आवश्यक कार्रवार्ड हेतु प्रेषित :- 72.10.2025

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का सचिवालय

Gibbs John

- 2. उप महालेखाकार/ ए.एम.जी.- । का सचिवालय (ईमेल के माध्यम से)
- 3. व.ले.प.अ./दावा/ए.एम.एस/पी.पी.जी (ईमेल के माध्यम सें)
- 4. सम्बंधित व्यक्ति (ईमेल के माध्यम से)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ए.एम.जी.-। (मु.)